— :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: —
।। आदिवासी विकास शाखा ।।
फैक्स नं. 0788—2323655, ई—मेल — actwd.durg@gmail.com

क्रमांक/391 /आ.जा.क./6/प्रयास—टेंडर/130/2017—18 दुर्ग, दिनांक 26/5/2017

प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2017—18

— : संक्षिप्त सूचना :—

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना यथा संशोधित 2016 अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग हेतु हाई स्कूल उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को वर्ष 2017—18 एवं 2018—19 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के गणित एवं जीव विज्ञान संकाय की शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ—साथ अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल आदि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए जाने की योजना हैं।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्था के लिए **"रुचि की अभिव्यक्ति"** अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)
		जीव विज्ञान एवं गणित
1.	प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग	125

1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि — 12.06.2017
2. निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना — 14.06.2017
3. पात्र पाये गये संस्थाओ का समिति के समक्ष एवं तकनीकी मूल्यांकन — 16.06.2017
4. तकनीकी मूल्यांकन अंतर्गत संस्था के शिक्षकों द्वारा कक्षा प्रदर्शन (डेमो) — 20.06.2017

उक्त संस्था के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर विद्यालय का नाम लिखना होगा। लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय लिफाफा को खोलने की सूचना पृथक से दी जाएगी। आवेदन स्वयं या स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in का अवलोकन कर सकते है।

कलेक्टर
जिला—दुर्ग

प्रसास आवासीय विद्यालय दुर्ग में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण वर्ष 2017–18 अंतर्गत विस्तृत जानकारी

1. **योजना का उददेश्य :–** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना यथा संशोधित वर्ष 2016 अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन की प्रक्रिया वर्ष 2016 अंतर्गत हाईस्कूल उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षा 11वीं एवं 12वीं के गणित एवं जीद विज्ञान संकाय की शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल आदि समकक्ष हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं आदि की तैयारी कराकर परिणाम मूलक सफलता प्राप्त कराने की योजना है।
2. **योजना संचालन का मोड :–** इसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है एवं शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल, मूल्यांकन आदि हेतु टेस्ट की व्यवस्था निजी कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विद्यालय का नाम जिसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित है :–

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)
		जीव विज्ञान एवं गणित
1.	प्रयास शासकीय आवासीय विद्यालय दुर्ग	125

उपरोक्त विद्यालय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। चयन उपरांत अनुबंध अनुसार समस्त व्यवस्था करनी होगी।

3. **अनुबंध की अवधि :–** 2 वर्ष। वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 तक।
4. **कक्षा का आकार :–** न्यूनतम 45 विद्यार्थियों पर एक सेक्शन होगा।
5. **संकाय :–** गणित संकाय एवं जीव विज्ञान संकाय।
6. **अध्यापन की अवधि :–** बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग तथा डाउट क्लास को मिलाकर प्रतिदिन न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन कराना होगा।

E:\Nishabdh\Prayas\2017-18 Tendor\Ruchi ki abhivyakti 2016-17.doc

7. **उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :-**

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उतकृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है अतः उपलब्ध कराया जाने वाले शिक्षकों का शैक्षणिक पृष्ठ भूमि उच्च स्तर का हो।

क्र.	विषय	शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
1.	गणित	02	1. प्रथम शिक्षक – भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से बी टेक/एम टेक उपाधि एवं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव । 2. द्वितीय शिक्षक – संबंधित विषय में UGC– NET उत्तीर्ण हो एवं अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव ।
2.	भौतिक शास्त्र	02	
3.	रसायन शास्त्र	02	संबंधित विषय में UGC– NET उत्तीर्ण हो एवं अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव ।
4.	वनस्पति विज्ञान	01	शासकीय मेडिकल कॉलेज से न्यूनतम एमबीबीएस/बीडीएस उपाधि एवं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो अथवा संबंधित विषय में UGC– NET उत्तीर्ण हो एवं अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो।
5.	जंतु विज्ञान	01	
6.	हिन्दी	01	संबंधित विषय में UGC- NET उत्तीर्ण होएवं अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो।
7.	अंग्रेजी	01	संबंधित विषय में UGC– NET उत्तीर्ण हो एवं अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुनव हो।
8.	मनोवैज्ञानिक/ कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उपाधि।

उपरोक्तानुसार शिक्षको की अनिवार्य योग्यता है किन्तु उपरोक्त विवरण अनुसार शिक्षकों की योग्यता में कमी कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है तो समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में अंक काटे जाएंगे।

8. **रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :-**

   i. इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्ते, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते हैं। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपयें 1000/– का राष्ट्रीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय स्टेट बैंक का चालान शीर्ष क्रमांक– **"0250 अन्य सामाजिक सेवाएं 102 अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण योजनाओं से प्राप्तियां"** में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जमा कर चालान की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

ii. इच्छुक कोचिंग संस्थाएं तीन बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। उन्हें संस्था के लिए अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर देना होगा तथा उल्लेखित योग्यता के शिक्षकों का **Panel** प्रस्तुत होने पर डेमो के दौरान प्रस्तुत शिक्षक ही अध्यापन कार्य के लिए उपलब्ध कराने का दायित्व चयनित संस्था का होगा।

iii. **आवेदन पत्र का भाग–एक, प्रथम लिफाफा (न्यूनतम अर्हता संबंधी)** है। अन्य जानकारी के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर सहित लिफाफा क्रमांक–01 में सील बंद किया जाना चाहिए।

iv. **आवेदन पत्र का भाग–दो (तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा)** इसके अंतर्गत दो–1 से दो–5 तक की जानकारी के साथ पृथक से लिफाफा क्रमांक–02 में रखकर सीलबंद किया जाना चाहिए।

v. **आवेदन पत्र का भाग–तीन (वित्तीय प्रस्ताव)** इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) का लिफाफा को सील बंद करना होगा।
इसके पश्चात् तीनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होगें। आवेदक जिस संस्था हेतु आवेदन कर रहा है, लिफाफा के उपरी भाग पर उस संस्था का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के अभिलेखो के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील और हस्ताक्षर होना चाहिए।

vi. सर्वप्रथम सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक–01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। समिति तकनीकी एवं वित्तीय मूल्याकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।

vii. आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।

viii. न्यायालयीन क्षेत्राधिकार दुर्ग जिला के अंतर्गत होगा।

ix. निविदा पर अंतिम निर्णय (स्वीकृति/अस्वीकृति) का अधिकार कलेक्टर दुर्ग का होगा।

9. **प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :–** प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया **(Quality Cum Cost Based System)** के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसका पूर्ण विवरण मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना यथा संशोधित वर्ष 2016 अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन की प्रक्रिया वर्ष 2016 जारी दिनांक 18.01.2016 के कंडिका– 15 में उल्लेख अनुसार होगा।

10. **कोचिंग संस्था के दायित्व :–**

i. निर्धारित योग्यता के ही शिक्षक/फैकल्टी उपलब्ध कराना होगा अन्यथा प्रस्ताव अमान्य किया जा सकता है या चयन होने की स्थिति में भुगतान होने वाली राशि में कटौती की जाएगी।

ii. विद्यार्थियों एवं प्रशासकीय अधिकारी की फीड बैक में यदि विषय शिक्षक का अध्यापन शिक्षक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कलेक्टर की अनुमति से उसी योग्यता का शिक्षक एक सप्ताह में परिवर्तन करना होगा।

iii. बार–बार विषय शिक्षक बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा किया जाता है तो अनुबंध निरस्त करने अथवा राशि में कटौती करने पर निर्णय लिया जाएगा।

iv. अध्यापन की न्यूनतम अवधि 8 घंटे होगी। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न अनुरूप अध्यापन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 2 घण्टे का डाउट क्लास भी आयोजित किया जाएगा।

v. विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर विद्यार्थीवार कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति रखना अनिवार्य होगा।

vi. विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग या निजी कोचिंग से संलग्न नही किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

vii. कोचिंग संस्था को साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, त्रैमासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक टेस्ट तथा वार्षिक बोर्ड के बाद अंतिम परीक्षा तक कोचिंग प्रदान करना होगा।

viii. कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर एवं ऑन–लाईन अध्ययन एवं टेस्ट पेपर की मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

ix. विद्यालय के गरिमा के अनुरूप विशेष शिक्षको द्वारा अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा।

x. विशेष शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विशेष शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।

xi. कोचिंग संस्था द्वारा अध्यापन कराया जा रहे विद्यार्थियों का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कोचिंग संस्था के दक्षता का मूल्यांकन हो सके। इसके आधार किश्त की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

xii. कोचिंग संस्था को प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के साथ मिलकर टाईम टेबल एवं कार्ययोजना बनाया जाकर पालन किया जाना होगा।

xiii. कोचिंग संस्था को फैकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

11. **कोचिंग संस्था का भुगतान** :– प्रयास संचालन नियम– 2016 के कंडिका क्र.– 20 अनुसार किस्तों में किया जाएगा।

कलेक्टर
जिला–दुर्ग

प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण वर्ष 2017–18 अंतर्गत "रुचि की अभिव्यक्ति"(प्रथम आमंत्रण) हेतु आवेदन पत्र

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 391 दिनांक 26-5-2017 के संदर्भ में)

भाग–एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए; प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रामण पत्र प्रस्तुत करें।	
3.	(I) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो का प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर 1.00 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक संक्रिया से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र हो जिसमें विगत तीनों वर्षो के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो का टर्न ओवर का पृथक–पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये सर्विस टेक्स का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रू 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 02 वर्ष की अवधि हेतु जो सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए। (कंडिका 18 के अनुसार)	

भाग–दो–01

(संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम : ....
   (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....
   : ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....
   (द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम
   एवं पता/मोबाईल नम्बर : ....
2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :–
   (अ) समिति/फर्म/कम्पनी का नाम : ....
   : ....
   (ब) समिति/फर्म/कम्पनी के कार्यालय
   का पूर्ण पता : ....
   : ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....
   (द) फर्म द्वारा किन–किन स्थानों पर : ....
   कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रहा है: ....
3. (अ) समिति/फर्म/कम्पनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है: ....
   (ब) समिति/फर्म/कम्पनी का जीवित पंजीयन क्रमांक
   एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति : ....
   (स) समिति/फर्म/कम्पनी का वैद्यता दिनांक : ....
   (द) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....
   (इ) समिति/फर्म/कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ....
   (प) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष, : ....
4. क्या कोचिंग संस्था फ्रेन्चायजी है? यदि हां तो मूल कोचिंग संस्था का फ्रेन्चायजी अधिकार पत्र एवं अनुबंध आदि अभिलेख प्रस्तुत किया जावे एवं फ्रेन्चायजी संस्था अपना आडिट रिपोर्ट/पैन/टैन प्रस्तुत करेगा।

भाग–दो–02

(कोचिंग संस्था के फैकल्टी, जिन्हें प्रयास विद्यालय में अध्यापन हेतु भेजा जाएगा)

1. (अ) फैकल्टी का विवरण :– सभी का बायोडाटा संलग्न होना चाहिए।

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण किये संस्था का नाम / यूजीसी–नेट	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत / ग्रेड	अनुभव	किस कक्षा का अध्यापन करते हैं

(ब) कोचिंग संस्था द्वारा प्रयास विद्यालय में दिए जाने वाले गैर शिक्षकीय अमले तथा अन्य स्टॉफ जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर / कार्यालय सहायक की जानकारी :–

1. ....
2. ....
3. ....

(स) प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :–

1. इन्चार्ज का नाम : ....
2. शैक्षणिक अर्हता : ....
3. अनुभव : ....

भाग–दो–03

(कोचिंग संस्था के सफलता की जानकारी)

1. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षों की जानकारी दी जावें।)

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या				अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या				सफलता का प्रतिशत
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
1	जे.ई.ई. मेन									
2	जे.ई.ई. एडवांस									
3	ए.आई. पी.एम.टी. /नीट									
4	एम्स									
5	अन्य परीक्षाए									

टीप :– प्रत्येक परीक्षावार अंतिम चयनित विद्यार्थियों का नाम, रोल नम्बर, मोबाईल नंबर सहित प्रमाणित सूची संलग्न किया जावे।

2. राज्य स्तरीय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण :–

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या				अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या				सफलता का प्रतिषत
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
1	पी.ई.टी.									
2	पी.एम.टी.									
3	बी.ए.एम.एस.									
4	वेटनरी									
5	फिजियोथेरेपी									
6	एग्रीकल्चर									

भाग–दो–04

(योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति)

इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रस्तुत की जावे :–

1. अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवश्यक हो)।
2. उत्कृष्ठ शिक्षण सामग्री की एक प्रति।
3. उत्कृष्ठ शिक्षको को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु मल्टीमिडिया की व्यवस्था।

भाग–दो–05

(घोषणा / सहमति पत्र)

संस्था / फर्म / कम्पनी संचालक की घोषणा

मैं ....पद ....कोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैने वर्ष 2017–18 के लिए प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तों एवं प्रावधानो का अध्ययन कर, समझकर एवं संतुष्ट होकर प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र के **'भाग–एक'**, भाग–दो(1–5) तथा **भाग– तीन** में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मै जिम्मेदार रहूंगा।

प्रयास संचालन नियम में कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन / प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशो का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर / मोहर
सहित

प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण वर्ष 2017–18 अंतर्गत "रुचि की अभिव्यक्ति"(प्रथम आमंत्रण) हेतु आवेदन पत्र

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक ....दिनांक .... के संदर्भ में)

वित्तीय प्रस्ताव – भाग–तीन

क्र.	कार्य का नाम	दर प्रति विद्यार्थी समस्त कर सहित अंको में एवं शब्दों में दर दर्शाया जाए
1.	कक्षा 11वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अध्यापन सह कोचिंग के लिए 24 माह हेतु	

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करनें हेतु सहमत हूं।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

टीपः–

1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी कांट–छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।